रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2017/चैत्र 21, 1939

No. 273] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/CHAITRA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 340(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2013, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (स्टाफ कार चालक, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

   (ii) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. विशेष उपबंध.—प्रत्येक आंचलिक काडर नियंत्रण प्राधिकरण का अपना पृथक काडर होगा जब तक कि अन्यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्देशित न किया जाए ।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

			के योग्य हो ; (iii) यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी हो ; और (iv) पहियों को बदलने और टायरों में सही हवा भरने के योग्य हो । टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु ये तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त -अध्यक्ष (आयुक्तालय का सी.सी.ए.) 2. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त (मुख्यालय)* - सदस्य 3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त (पी एंड वी) -सदस्य * उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त मोटर यान का कार्य भी देखेंगे । टिप्पण: जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।	आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी–2	385* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25,500-81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होगा	लागू नहीं	प्रोन्नति	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिसने वेतन मैट्रिक्स में